**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-1053**
**बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)**

**रोजगार सृजन और नियोजन को बढ़ावा देने हेतु कदम**

**1053. श्री शक्तिसिंह गोहिलः**
**डा. अमी याज्ञिकः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च, 2020 से जुलाई, 2021 के बीच रोजगार ढूंढने वाले अथवा रोजगार के लिए उपलब्ध युवाओं की राज्य-वार/योग्यता-वार और लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के दौरान हुई आय के नुकसान के लिए कोई मुआवजा प्रदान किया है;
तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मार्च, 2020 से जुलाई, 2021 के बीच किन-किन क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर उच्चतम थी;

(ड.) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन और युवाओं के निजी क्षेत्र में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क): रोजगार और बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित किया जाता है।

2019-20 (सर्वेक्षण अवधि जुलाई, 2019 से जून, 2020) की वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लिंग-वार बेरोजगारी दर अनुबंध-। पर दी गई है। 2019-20 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर का योग्यता-वार एवं लिंग-वार ब्यौरा उपलब्ध सीमा तक अनुबंध-।। एवं ।।। पर दिया गया है।

(ख) से (च): सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत  नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ उन बीमित कामगारों, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रोजगार गंवा दिया है, के लिए लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

सरकार ने एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

*****

अनुबंध -I

राज्य सभा के दिनांक 28.07.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) के अनुसार 15-29 वर्ष आयू समूह की बेरोजगारी दर (यूआर)।

(प्रतिशत मे)

| राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | ग्रामीण + शहरी | | |
|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | व्यक्ति |
| आंध्र प्रदेश | 17.6 | 15.9 | 17.1 |
| अरुणाचल प्रदेश | 22.0 | 28.5 | 23.8 |
| असम | 25.9 | 32.5 | 27.5 |
| बिहार | 18.2 | 9.4 | 17.6 |
| छत्तीसगढ | 12.0 | 6.8 | 10.1 |
| दिल्ली | 21.6 | 27.5 | 22.5 |
| गोवा | 20.8 | 33.2 | 25.1 |
| गुजरात | 6.4 | 3.8 | 5.8 |
| हरियाणा | 16.8 | 22.4 | 17.6 |
| हिमाचल प्रदेश | 15.0 | 10.3 | 13.0 |
| झारखंड | 14.8 | 4.4 | 11.6 |
| कर्नाटक | 10.7 | 22.0 | 14.1 |
| केरल | 26.5 | 53.7 | 35.4 |
| मध्य प्रदेश | 9.3 | 5.6 | 8.4 |
| महाराष्ट्र | 10.8 | 10.0 | 10.6 |
| मणिपुर | 31.0 | 37.1 | 33.1 |
| मेघालय | 6.1 | 15.1 | 8.9 |
| मिजोरम | 21.9 | 17.5 | 20.2 |
| नागालैंड | 71.1 | 68.2 | 70.1 |
| ओडिशा | 22.9 | 12.8 | 19.6 |
| पंजाब | 18.4 | 19.7 | 18.7 |
| राजस्थान | 14.7 | 9.1 | 13.1 |
| सिक्किम | 8.8 | 5.1 | 7.2 |
| तमिलनाडु | 20.8 | 21.2 | 20.9 |
| तेलंगाना | 25.4 | 21.5 | 24.2 |
| त्रिपुरा | 10.3 | 13.6 | 10.8 |
| उत्तराखंड | 20.3 | 17.9 | 19.7 |
| उत्तर प्रदेश | 12.9 | 10.6 | 12.6 |
| पश्चिम बंगाल | 15.4 | 10.1 | 14.2 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 20.2 | 59.9 | 34.2 |
| चंडीगढ़ | 12.2 | 12.8 | 12.3 |
| दादर और नगर हवेली | 7.9 | 0.0 | 6.1 |
| दमन और दीव | 5.6 | 9.6 | 6.2 |
| जम्मू और कश्मीर | 13.3 | 27.9 | 18.3 |
| लद्दाख | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| लक्षद्वीप | 24.8 | 69.5 | 36.2 |
| पुडुचेरी | 24.8 | 37.3 | 28.7 |
| अखिल भारत | 15.1 | 14.6 | 15.0 |

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

राज्य सभा के दिनांक 28.07.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

ग्रामीण + शहरी **पुरूष** (प्रतिशत में)

| राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | सामान्य शिक्षा स्तर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक तक | मिडिल | सेकेन्डरी | उच्चतर माध्यमिक | डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम | स्नातक | स्नात्तकोत्तर एवं उससे उपर |
| आंध्र प्रदेश | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 6.9 | 17.3 | 21.0 | 24.2 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.1 | 3.6 | 8.8 | 8.5 | 0.0 | 19.9 | 43.7 |
| असम | 2.1 | 9.6 | 4.7 | 11.7 | 6.5 | 16.4 | 6.9 |
| बिहार | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 6.8 | 84.9 | 20.0 | 10.7 |
| छत्तीसगढ | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 6.1 | 35.5 | 15.2 | 11.5 |
| दिल्ली | 1.4 | 5.4 | 5.8 | 9.3 | 16.8 | 13.8 | 17.3 |
| गोवा | 1.2 | 7.1 | 4.3 | 7.7 | 16.1 | 11.5 | 11.1 |
| गुजरात | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 5.5 | 5.3 | 6.5 |
| हरियाणा | 1.3 | 4.0 | 6.4 | 10.3 | 14.1 | 10.5 | 9.4 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 5.8 | 11.8 | 17.4 | 7.8 |
| झारखंड | 2.8 | 6.4 | 7.3 | 9.9 | 25.6 | 13.3 | 15.0 |
| कर्नाटक | 0.2 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 9.6 | 9.6 | 9.4 |
| केरल | 0.8 | 2.8 | 6.4 | 15.1 | 12.5 | 20.4 | 10.5 |
| मध्य प्रदेश | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 4.8 | 11.0 | 14.0 | 4.9 |
| महाराष्ट्र | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 6.1 | 9.2 | 7.8 | 2.7 |
| मणिपुर | 1.6 | 4.9 | 4.6 | 12.6 | 18.8 | 18.7 | 21.8 |
| मेघालय | 0.2 | 0.6 | 4.0 | 5.2 | 0.0 | 14.2 | 14.7 |
| मिजोरम | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 10.9 | 0.0 | 12.8 | 23.0 |
| नागालैंड | 5.2 | 22.1 | 22.6 | 27.6 | 48.5 | 43.1 | 57.4 |
| उड़ीसा | 1.9 | 5.4 | 10.6 | 16.5 | 29.5 | 23.6 | 8.6 |
| पंजाब | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 14.8 | 18.7 | 12.8 | 8.0 |
| राजस्थान | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 15.2 | 21.8 | 12.1 |
| सिक्किम | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 6.1 | 0.0 | 14.1 | 3.8 |
| तमिलनाडु | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 6.2 | 16.2 | 19.5 | 7.3 |
| तेलंगाना | 0.1 | 3.4 | 5.1 | 10.1 | 9.4 | 22.7 | 21.7 |
| त्रिपुरा | 0.8 | 2.9 | 5.0 | 6.2 | 16.6 | 13.1 | 3.8 |
| उत्तराखंड | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 14.9 | 18.0 | 18.8 | 7.2 |
| उत्तर प्रदेश | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 6.8 | 14.6 | 15.1 | 7.6 |
| पश्चिम बंगाल | 1.5 | 5.0 | 6.0 | 9.7 | 13.3 | 14.7 | 10.9 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.7 | 5.1 | 4.0 | 24.6 | 10.1 | 14.8 | 1.1 |
| चंडीगढ़ | 3.6 | 5.7 | 8.4 | 8.8 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
| दादर और नगर हवेली | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 10.2 | 23.0 |
| दमन और दीव | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 8.7 | 5.6 | 4.2 | 0.0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 10.6 | 41.5 | 14.2 | 8.6 |
| लद्दाख | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| लक्षद्वीप | 3.7 | 5.6 | 2.0 | 23.1 | 30.8 | 15.2 | 0.0 |
| पुडुचेरी | 0.0 | 7.0 | 1.6 | 8.8 | 6.3 | 16.6 | 1.6 |
| अखिल भारत | **1.7** | **3.7** | **4.2** | **7.8** | **13.7** | **15.2** | **9.9** |

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

राज्य सभा के दिनांक 28.07.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 (पीएलएफएस) के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तर के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

ग्रामीण + शहरी **महिला** (प्रतिशत में)

| राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | सामान्य शिक्षा स्तर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक तक | मिडिल | सेकेन्डरी | उच्चतर माध्यमिक | **डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** | स्नातक | स्नात्तकोत्तर एवं उससे उपर |
| आंध्र प्रदेश | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 8.5 | 11.5 | 37.0 | 38.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2.2 | 5.6 | 14.3 | 19.6 | 0.0 | 37.9 | 20.7 |
| असम | 4.8 | 16.5 | 26.4 | 28.3 | 0.0 | 31.1 | 6.3 |
| बिहार | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 100.0 | 18.2 | 21.4 |
| छत्तीसगढ | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 8.4 | 0.0 | 26.0 | 15.0 |
| दिल्ली | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 11.7 | 13.6 |
| गोवा | 0.0 | 6.1 | 18.1 | 24.1 | 5.9 | 19.4 | 23.7 |
| गुजरात | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 15.0 |
| हरियाणा | 0.0 | 2.1 | 2.2 | 13.0 | 4.8 | 25.1 | 7.8 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 9.0 | 19.0 | 14.0 |
| झारखंड | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | 0.0 | 17.8 | 12.1 |
| कर्नाटक | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 13.0 | 39.6 | 12.7 |
| केरल | 1.7 | 3.8 | 7.1 | 22.0 | 16.8 | 37.7 | 36.5 |
| मध्य प्रदेश | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 35.5 | 18.6 | 10.2 |
| महाराष्ट्र | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 7.2 | 20.8 | 11.0 | 2.0 |
| मणिपुर | 2.7 | 7.6 | 17.3 | 13.9 | 0.0 | 16.8 | 20.6 |
| मेघालय | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 20.9 | 14.6 | 20.0 | 24.2 |
| मिजोरम | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 16.3 | 0.0 | 18.4 | 20.8 |
| नागालैंड | 7.6 | 16.4 | 36.7 | 49.1 | 0.0 | 55.2 | 55.1 |
| उड़ीसा | 0.0 | 4.1 | 11.0 | 18.6 | 17.7 | 32.3 | 14.2 |
| पंजाब | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 22.1 | 2.4 | 19.9 | 17.9 |
| राजस्थान | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 0.0 | 27.4 | 30.6 |
| सिक्किम | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 32.7 | 7.1 | 0.0 |
| तमिलनाडु | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 6.2 | 17.8 | 22.8 | 22.0 |
| तेलंगाना | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 8.8 | 55.8 | 40.6 | 35.7 |
| त्रिपुरा | 0.0 | 3.8 | 1.3 | 8.3 | 15.2 | 17.2 | 10.2 |
| उत्तराखंड | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 9.9 | 100.0 | 30.1 | 10.7 |
| उत्तर प्रदेश | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 63.0 | 20.5 | 21.0 |
| पश्चिम बंगाल | 0.9 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 18.1 | 17.0 | 12.7 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.0 | 4.3 | 67.7 | 36.7 | 32.7 | 45.8 | 36.0 |
| चंडीगढ़ | 15.7 | 5.4 | 15.2 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| दादर और नगर हवेली | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| दमन और दीव | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.1 | 4.1 | 17.3 | 29.1 | 70.3 | 40.7 | 42.9 |
| लद्दाख | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| लक्षद्वीप | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 66.7 | 22.7 | 44.0 | 0.0 |
| पुडुचेरी | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 10.0 | 38.3 | 25.9 | 23.0 |
| अखिल भारत | **0.7** | **1.9** | **3.4** | **8.8** | **16.8** | **24.6** | **19.2** |

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस, 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।